006110

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
15 DEC 2017
तिरुचिरापल्लि / TIRUCHIRAPPALLI

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय,
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS(PREVENTIVE)
नं 1, विल्लियम्स रोडतिरुच्चिरा ,कन्टोनमेंट ,तिरुच्चिराप्पल्लि-620001
NO.1 WILLIAMS ROAD, CANTONMENT, TIRUCHIRAPPALLI– 620 001
Tel / Fax: 0431-2418819:: E-mail: cuspoltry@gmail.com

C.No.VIII/09/04/2017-Cus.Pol Date:13.12.2017

PUBLIC NOTICE No. - 14 /2017

Sub:Drawing of Samples for the purpose of grant of Drawback

Attention of all Exporters/Customs Brokers/Shipping agents/Trade and Industry is invited to Board's Circular No. 47/2017- Cus issued vide F. No. 609/13/2017-DBK dated 27.11.2017 and to Circular Nos. 34/95-Cus dated 06.04.1995, 57/97-Customs dated 31.10.1997 and 25/2005-Customs prescribing monetary limits with respect to drawing of samples for the purpose of grant of drawback and giving exemptions from sampling requirements in certain situations.

1. In this regard, in order to further facilitate trade and enhance the ease of doing business, Board has decided to rescind the Circular Nos. 34/95-Cus dated 6.4.1995, 57/97- Customs dated 31.10.1997 and 25/2005-Customs. The export shipments shall continue to be subjected to appropriate treatment in terms of risk criteria provided in Risk Management System (RMS). Since the drawback payment is subject to finalisation of case after receipt of test report of samples, samples will be drawn only where necessary and the cases will be closed in a timely manner and not later than thirty days from date of let export. Customs may draw samples in case of any specific intelligence or doubt of misuse, fraud, etc.

2. Difficulties faced, if any, may be brought to the notice of the undersigned

13/12/2017
(ASHOK)
COMMISSIONER

Copy To
1. As per mailing list
2. Commissionerate Website
3. Notice Board
Copy submitted to the Chief Commissioner of Customs (Preventive), Trichy

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF. THE
COMMISSIONER OF CUSTOMS
19 DEC 2017
तिरुचिरापल्लि / TIRUCHIRAPPALLI-1

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय (निवारक)

नं 1, विल्लियम्स रोड, कन्टोनमेंट, तिरुच्चिराप्पल्लि-620 001

दूरभाष / फैक्स: 0431-2418819::E-mail: cuspoltry@gmail.com

सी.सं.VIII/09/04/2017-सीशु नीति दिनांक 13.12.2017

सार्वजनिक सूचना सं.: 14/2017

विषय: प्रतिअदायगी देने के प्रयोजन हेतु नमूने लेने के संबंध में।

निर्यातक/सीमा शुल्क ब्रोकर/शिपिंग एजेंट/व्यापार एवं उद्योग समूह का ध्यान प्रतिअदायगी देने के प्रयोजन हेतु नमूने लेने के लिए मौद्रिक सीमा निर्धारित करने और कुछ परिस्थितियों में नमूना लेने की आवश्यकताओं से छूट देने के लिए जारी बोर्ड का परिपत्र सं 47/2017-सीशु देखें फा.सं. 609/13/2017-प्रअ दिनांक 27.11.2017 और परिपत्र सं 34/95-सीशु दिनांक 06.04.1995, 57/97-सीशु दिनांक 31.10.1997 और 25/2005 की ओर आकर्षित किया जाता है ।

इस संबंध में व्यापार को सुकर बनाने और व्यापार करने में आसानी लाने के लिए बोर्ड ने परिपत्र सं 34/95-सीं शु दिनांक 6.4.1995, 57/97-सीशु दिनांक 31.10.1997 और 25/2005-सीशु को रद्द करने का फैसला लिया है । निर्यात शिपमेंट्स को जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) में दिए गए जोखिम मानदंडों के अनुसार समुचित प्रक्रिया के अधीन रखा जाना जारी रहेगा। चूँकि नमूनों की टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद मामले को फाइनल करने पर ही प्रतिअदायगी का भुगतान होता है इसलिए नमूनों को केवल जहॉ आवश्यक हो वहीं लिया जाएगा और नियम समय में मामले को बंद कर दिया जाएगा तथा यह अवधि जिस दिन निर्यात हो गया है, उस तारीख से तीस दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए । सीमा शुल्क किसी विशिष्ट आसूचना या दुरुपयोग, धोखाधडी, आदि के संदह होने पर नमूने ले सकते हैं ।

कोई भी कठिनाई आने पर अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाए ।

अशोक

(अशोक)

आयुक्त

सेवा में,

1. मेलिंग सूची के अनुसार
2. आयुक्तालय की बैवसाइट
3. सूचना बोर्ड, तिरुच्चि

प्रतिलिपि प्रस्तुत: मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), तिरुच्चि.